


प्रगति प्रतिवेदन

2014-2015

(01.04.2014 से 31.12.2014 तक)



राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

फोन : 0141-2385522, फैक्स : 0141-2385503

वेबसाइट : www.rfc.rajasthan.gov.in

प्रगति प्रतिवेदन

(2014-15)

(01.04.2014 से 31.12.2014 तक)



राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

फोन : 0141-2385522, फैक्स : 0141-2385503

वेबसाइट : www.rfc.rajasthan.gov.in

राजस्थान वित्त निगम प्रगति प्रतिवेदन (2014-15)


(01.04.2014 से 31.12.2014 तक)

राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत वर्ष 1955 में हुई थी। वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

निगम द्वारा अपनी स्थापना से 31 मार्च, 2014 तक कुल 80825 इकाईयों को 6512.45 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत एवं 62868 इकाईयों को 4648.99 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं।

निगम का संगठनात्मक ढांचा

निगम का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार है -



स्वीकृत – कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या (01.02.2015 को)		
		स्वीकृत (***)	भरे	रिक्त
	राजपत्रित (*)/ अराजपत्रित पद			
1	कार्यकारी निदेशक/ कार्यकारी निदेशक(वित्त)(*)	2	1	1
2	महाप्रबन्धक	2	2	-
3	उप महाप्रबन्धक	12	9	3
4	प्रबन्धक	21	21	-
5	सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/निजी सचिव	1	2	-
6	उप प्रबन्धक	71	67	4
7	सहायक प्रबन्धक	109	100	9 (*)
8	स्टेनोग्राफर ग्रेड- I	11	11	-
9	वरिष्ठ सहायक	54	55	-
10	स्टेनोग्राफर ग्रेड- II	25	25	-
11	स्टेनोग्राफिस्ट	18	15	3
12	सहायक	132	132	-
13	कनिष्ठ सहायक/ टाइपिस्ट	51	16	-(**)
14	ड्राइवर	18	16	2

15	मुख्य जमादार	3	3	-
16	जमादार	52	55	-
17	डी.एम.ओ.	1	1	-
18	संदेशवाहक	43	66	-

नोट -

(*) संचालक मण्डल के दिनांक 30.06.2014 के निर्णयानुसार सहायक प्रबन्धक के पद पर नयी भर्ती को प्रास्थगित (Kept in abeyance) किया गया।

(**) संचालक मण्डल के दिनांक 14.09.2012 के निर्णयानुसार बी व सी श्रेणी की सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।

(***) यह स्वीकृत पद स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के पश्चात शेष रहे पद है।

परिचालन खर्चों में कमी हेतु प्रयास

निगम द्वारा अपने परिचालन खर्चों में कमी करने के उद्देश्य से 260 कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निगमों/बोर्डों में विपरीत प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा चुका है, जिससे निगम के खर्चों में लगभग 13 करोड रुपये की वार्षिक कमी आएगी।

निगम के प्रमुख उद्देश्य

1. लघु, मध्यम एवं बृहद श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
2. राज्य के तीव्र औद्योगीकरण में सहयोग देना तथा औद्योगिक गति को नया आयाम देना

3. स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण तथा नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध करवाना

4. राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका के रूप में कार्य करना

निगम द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि क्रय, भवन निर्माण, यंत्र-संयंत्र खरीदने एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। उद्योगों को यथाशीघ्र ऋण स्वीकृत किये जा सकें जिसके लिए ऋण स्वीकृत करने की शक्तियों का भी विकेन्द्रीकरण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप छोटे उद्योगों की स्थापना हेतु शाखा स्तर पर ही ऋण स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं।

ऋण स्वीकृति की शक्तियां

निगम द्वारा राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु 20 करोड रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु निगम के राज्य भर में 20 शाखा कार्यालय एवं 10 फैंसिलिटेशन सेंटर कार्यरत हैं। ऋण स्वीकृति की शक्तियां निम्न प्रकार हैं -

मुख्यालय स्तर पर -

एकज्यूकेटिव कमेटी (Executive Committee)	2000.00 लाख रुपये तक
प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसलटेटिव कमेटी (PC&CC)	1000.00 लाख रुपये तक
कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसलटेटिव कमेटी (PC&CC)	500.00 लाख रुपये तक
महाप्रबन्धक (आपरेशन) की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसलटेटिव कमेटी (PC&CC)	300.00 लाख रुपये तक

शाखा कार्यालय स्तर पर -

सक्षम अधिकारी	(₹ लाखों में)
उप महाप्रबन्धक (आपरेशन) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	150.00
प्रबन्धक (शाखा) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	100.00
उप प्रबन्धक (शाखा) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	50.00

समस्त स्थायी परिसम्पत्तियों पर निगम का प्रथम प्रभार रहता है। अतिरिक्त प्रतिभूति जोखिम, ऋण राशि व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर कोलेटरल सिक्योरिटी ली जाती है।

वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक मापदण्ड :

● प्रवर्तक का अंशदान	परियोजना लागत का कम से कम 33 %
● डेब्ट इक्विटी अनुपात	2 : 1 से अधिक नहीं
● प्रतिभूति मार्जिन अ. सामान्य प्रकरण में ब. फेब्रिकेटेड आइटम्स, डाईज व मोल्ड्स, फर्नेस, फर्नीचर व फिक्चर्स में	30 % 50 %
● डेब्ट सर्विस कवरेज अनुपात	1.70 : 1 से कम नहीं

निगम की ऋण योजनाएं

वित्त निगम द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित मुख्य ऋण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं -

1. सामान्य ऋण योजना
2. सर्विस सेक्टर हेतु ऋण योजना
3. रियल एस्टेट सेक्टर हेतु ऋण योजना
4. स्पेशल सर्विस सेक्टर हेतु ऋण योजना
5. विशेष वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना
6. एकल खिडकी ऋण योजना
7. फाइनेन्सिंग अगेन्स्ट असेट्स ऋण योजना
8. स्विच ओवर ऋण योजना
9. असेट्स फाइनेन्सिंग ऋण योजना
10. सरल ऋण योजना
11. प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित इकाइयों हेतु ऋण योजना
12. स्पेशल लोन स्कीम फॉर मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट (जिनके पास इम्पोर्ट लाइसेंस हो)
13. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

गुड बॉरोअर्स ऋण योजनाएं

14. लघु अवधि ऋण योजना (एस.टी.एल.)
15. कार्यशील पूंजी ऋण योजना
16. स्पेशल परपज कार्यशील पूंजी ऋण योजना
17. नॉन असिसटेड इकाई हेतु कार्यशील पूंजी ऋण योजना
18. गोल्ड कार्ड योजना
19. प्लेटीनम कार्ड योजना
20. यूनिट्स प्रमोटेड बाई गुड बॉरोअर्स योजना
21. फ्लेक्सी ऋण योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रदत्त रियायतें

निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को 5.00 लाख रुपये तक के ऋण, उद्योगों की स्थापना एवं होटल आदि के लिए सामान्य दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन उद्यमियों को 5.00 लाख रुपये तक के ऋण आवेदन पत्रों पर लिये जाने वाले शुल्क में भी 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

विकलांग उद्यमियों को भी पांच लाख रुपये तक के ऋणों पर 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

ऋण वितरण

ऋण का वितरण, ऋण स्वीकृति पत्र की आवश्यक शर्तों को पूरा करने तथा ऋण दस्तावेजों का निष्पादन करने के पश्चात किया जाता है। संयुक्त वित्त पोषित इकाइयों के मामलों को छोड़कर उद्यमी अपने ऋण का वितरण शाखा स्तर से प्राप्त कर सकता है। इकाई की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन व उद्यमी द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद राशि प्राप्त की जा सकती है।

परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करवाने एवं उनमें उत्पादन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से शाखा/मुख्यालय स्तर पर गठित "प्रोजेक्ट मोनीटरिंग सैल" द्वारा क्रियान्विति में चल रही परियोजनाओं का आंकलन किया जाता है एवं उद्यमी को आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण कर समुचित मार्ग-दर्शन किया जाता है।

ऋण वितरण के समस्त अधिकार (संयुक्त वित्त पोषित इकाइयों को छोड़कर) शाखा कार्यालय को देने के बाद मुख्यालय द्वारा ऋण वितरण की मोनीटरिंग की जाती है एवं ऋण वितरण में हुई देरी की समीक्षा की जाकर मुख्यालय द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाती है।

ऋण वसूली

निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों से ऋण वसूली की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत उद्यमी को ऋण वितरण के तीन माह बाद ब्याज की किश्तों को जमा करवाना प्रारम्भ किया जाता है तथा मूल ऋण की किश्तों की अदायगी प्रायः 12 से 18 माह बाद प्रारम्भ की जाती है एवं अदायगी का समय 3 से 10 वर्षों के बीच होता है। फिर भी अधिकांश प्रकरणों में बाजार के उतार-चढ़ाव एवं उद्यमी स्तर पर विभिन्न समस्याओं के कारण निगम को विभिन्न रियायतों के संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं। निगम द्वारा ऋणी इकाइयों के आवेदन पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के पश्चात प्रचलित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न रियायतें जैसे किश्तों का पुनर्निर्धारण, डेफरमेंट, दण्डनीय ब्याज में माफी आदि दी जाती है।

इसके अतिरिक्त उद्यमियों द्वारा समय-समय पर ब्याज/दण्डनीय ब्याज माफी, ब्याज दर अथवा खाते के निपटारा इत्यादि के संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं जिन्हें एक मुश्त निपटारा समिति के समक्ष रखा जाता है। एक मुश्त खाता निपटारा समिति के द्वारा ऋणी इकाइयों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर खाते का एक मुश्त निपटारा भी किया जाता है।

निगम उद्यमियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है तथा निगम का सदैव यही प्रयास रहा है कि उद्योग मूल उद्यमी के पास ही रहें तथा सुचारु रूप से उत्पादनरत रहें। इसके लिए बकाया राशि की कुछ प्रतिशत राशि लेकर शेष राशि को किश्तों में दिये जाने का प्रावधान किया जाता है। इसके बावजूद निगम की बकाया राशि की वसूली नहीं होने पर इकाइयों की सम्पत्तियों का अधिगृहण करके उनके बेचान के प्रयास किये जाते हैं। अधिगृहण के पश्चात अधिगृहीत इकाइयों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जाते हैं।

अधिगृहीत इकाइयों का पुनर्जीवन

निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयां जो कि निगम की बकाया राशि का भुगतान किसी भी प्रकार नहीं करती हैं तो ऐसी इकाइयों का अधिगृहण निगम द्वारा एस.एफ.सी.एक्ट, 1951 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

निगम का प्रथम प्रयास यही रहता है कि मूल ऋणी द्वारा ही इकाई को पुनः उत्पादन में लाया जावे। अधिगृहण के पश्चात भी अगर मूल ऋणी निगम में निर्धारित राशि जमा करा देता है तो इकाई उसे वापस लौटा दी जाती है। परन्तु ऐसा न होने पर निगम द्वारा अधिगृहीत इकाइयों को पुनः उत्पादन में लाने के लिए उनके प्रबन्ध में परिवर्तन किया जाता है, ऐसी इकाइयों की परिसम्पत्तियों का विक्रय कर पुनः उत्पादन में लाया जाता है।

निगम द्वारा वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में अधिगृहीत इकाइयों की संख्या 52 थीं जिनमें 75.49 करोड रुपया बकाया था । इस वर्ष में निगम द्वारा कुल 11 इकाइयों का, जिनमें निगम का 10.70 करोड रुपया बकाया था, अधिगृहण किया गया एवं 18 इकाइयां जिनमें 17.03 करोड रुपया बकाया था को विक्रय द्वारा प्रबन्ध में परिवर्तन कर एवं मूल ऋणियों को वापस लौटाकर पुनर्जीवित किया गया। वर्ष के अंत में निगम के पास अधिगृहीत इकाइयों की कुल संख्या 45 थीं जिनमें कुल 69.17 करोड रुपया बकाया था ।

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 (माह दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान निगम द्वारा 5 इकाइयों को अधिगृहीत किया गया एवं 8 इकाइयों को विक्रय कर प्रबन्ध में परिवर्तन द्वारा एवं मूल ऋणी को इकाई वापस लौटाकर पुनर्जीवित किया गया ।

राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका

राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण, पूंजी विनियोजन अनुदान एवं ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की दिशा में वित्त निगम राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका निर्वाहित करता है।

वित्तीय संसाधन

वित्तीय वर्ष 2013-14 में राजस्थान वित्त निगम की अधिकृत अंशपूंजी रुपये 200 करोड थी जिसे राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 25.06.2013 के तहत बढ़ाकर रुपये 500 करोड कर दिया गया है। 31 मार्च, 2014 को निगम की प्रदत्त पूंजी रुपये 160.73 करोड थी।

निगम के गत 3 वर्षों के वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध वास्तविक प्रगति की सूचना

(करोड़ों में)

वर्ष	ऋण स्वीकृति		ऋण वितरण		ऋण वसूली	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2011-12	275.00	283.63	260.00	259.78	425.00	430.64
2012-13	125.00	114.22	125.00	138.76	360.00	405.82
2013-14	300.00	84.47	200.00	90.56	350.00	327.73
2014-15 (दिसंबर, 2014 तक)	225.00	147.30	150.00	77.81	215.00	184.18

आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

निगम द्वारा प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने एवं उद्यमियों को राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :

1. राज्य सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निगम के माध्यम से युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 19 अप्रैल, 2013 से लागू की गई जिसके अंतर्गत 22 दिसम्बर, 2014 तक निगम द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से 30 अभ्यर्थियों को 20.95 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं एवं 3.69 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं।
2. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निगम द्वारा राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचलित ब्याज दरों में माह जनवरी, 2015 से योजनानुसार 1.50 प्रतिशत तक की कमी की गई। निगम उद्यमियों को सुगमता से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु ऋण योजनाओं का सरलीकरण कर

अधिक से अधिक उद्यमियों को निगम से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। निगम द्वारा उद्यमियों की सुविधा हेतु अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसके तहत खाते का विवरण ऑन लाइन उपलब्ध कराया जाएगा एवं ऑन लाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

सार संक्षेप –

(₹ करोड़ों में)

क्र.स.	विवरण	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1	ऋण स्वीकृति	84.47 (215)*	114.22 (217)*	283.63 (796)*	469.93 (893)*	438.02 (827)*
2	ऋण वितरण	90.56 (171)*	138.76 (205)*	259.78 (717)*	328.96 (690)*	296.89 (628)*
3	ऋण वसूली	327.73	405.82	430.64	469.51	390.43
4	अंश पूंजी –					
	क. (i) अधिकृत	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	(ii) प्रदत्त	160.73	135.73	110.08	110.08	110.08
	ख. वर्षान्त में रिजर्व	269.16	268.16	62.70	61.70	60.70
	ग. बाण्ड शेष	300.00	300.00	31.50	74.95	111.87
	घ. भा.औ.वि.बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	—	—	—	—	—
	ड. भा.ल.औ.वि.बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	—	28.00	75.00	86.00	125.72
5	सकल लाभ	61.26	88.32	62.82	68.88	61.09
6	कार्य परिचालन व्यय	46.93	64.42	58.12	55.90	58.88
7	लाभ / हानि	13.97	12.88	4.90	12.98	2.21
8	शुद्ध लाभ	10.69	7.86	4.52	11.97	2.05

* इकाइयों की संख्या

